(99)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 634–एक/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 10–2–15 पारित द्वारा अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल प्रकरण कमांक 147/अपील/14–15.

पीर खां पिता रमजानी खां
निवासी ग्राम भ्याना
तहसील सारंगपुर जिला राजगढ़ .....आवेदक

विरूद्ध

बहादुर खां आत्मज भंवर खां
निवासी ग्राम भ्याना
तहसील सारंगपुर जिला राजगढ़ .....अनावेदक

श्री संजय नायक, अभिभाषक, आवेदक

:: आ दे श ::
(आज दिनांक 14/9/17 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 10–2–15 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा तहसीलदार, परगना सारंगपुर जिला राजगढ़ के समक्ष संहिता की धारा 131 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर ग्राम जयनगर जोधाना तहसील सारंगपुर स्थित सर्वे कमांक 276/4/2 एवं 277/2 उसके स्वत्व की भूमि है । उक्त भूमि पर आने–जाने का पुराना रास्ता शासकीय भूमि सर्वे कमांक 275/2 से होकर था, जिसे अनावेदक द्वारा अपने नाम पर दर्ज भूमि सर्वे कमांक 278 एवं 275/1 के दक्षिण मेड़ से रास्ता रोक दिया गया है, अतः रास्ता खुलवाया जाये । नायब तहसीलदार टप्पा सण्डावता परगना सारंगपुर द्वारा प्रकरण कमांक 7/अ–13/12–13 दर्ज कर दिनांक 20–6–14 को आदेश पारित कर रास्ता खुलवाये जाने का आदेश पारित किया गया । नायब तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय

अधिकारी, सारंगपुर के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 31–10–2014 को आदेश पारित कर प्रथम अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 10–6–15 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसील न्यायालय के आदेश निरस्त कर अपील स्वीकार की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ प्रकरण दिनांक 27–6–2017 को इस निर्देश के साथ आदेशार्थ रखा गया था कि आवेदक के अभिभाषक सात दिवस में लिखित तर्क प्रस्तुत करेंगे, परन्तु उनकी ओर से नियत दिनांक तक लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किये गये हैं । अतः प्रकरण का निराकरण निगरानी मेमों में उल्लिखित आधारों एवं अभिलेख के आधार पर किया जा रहा है । निगरानी मेमों में मुख्य रूप से यह आधार उठाये गये हैं कि आवेदक अपने स्वत्व की भूमि पर आने–जाने हेतु रूढ़िगत एवं परम्परागत रास्ते का उपयोग करता रहा है, जिसे अनावेदक द्वारा अवरूद्ध कर दिया गया है । अतः तहसील न्यायालय द्वारा रास्ता खुलवाने का आदेश देने में उचित कार्यवाही की गई है, जिसकी पुष्टि करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विधिसंगत कार्यवाही की गई है । यह आधार भी लिया गया है कि अनावेदक द्वारा शासकीय भूमि पर अतिकमण कर रूढ़िगत रास्ते को बन्द कर दिया गया है, किन्तु अपर आयुक्त द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं देकर पटवारी प्रतिवेदन के विपरीत आदेश पारित करने में त्रुटि की गई है । निगरानी मेमों में यह आधार भी लिया गया है कि तहसील न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी के समवर्ती निष्कर्ष, जिनमें हस्तक्षेप करने में अपर आयुक्त द्वारा विधि की भूल की गई है । उनके द्वारा तहसील न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश स्थिर रखते हुए अपर आयुक्त का आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक पूर्व से एकपक्षीय है ।

5/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा निगरानी मेमों में उठाये गये आधारों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा शासकीय भूमि जो कि नाले के रूप में दर्ज है, से रास्ता चाहा गया था, जिसे अनावेदक द्वारा

अतिक्रमण कर अवरूद्ध कर दिया गया था । वैसे भी शासकीय नाले की भूमि को अतिक्रमण करने का अधिकार अनावेदक को नहीं था । तहसीलदार द्वारा अपने आदेश में यह निष्कर्ष निकाला गया है कि पटवारी प्रतिवेदन के अनुसार आवेदक शासकीय भूमि जो कि नाला दर्ज है, जिस पर रास्ते के चिन्ह भी मौजूद हैं, से रास्ता की मांग की गई है, किन्तु अनावेदक द्वारा उक्त शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर रास्ता अवरूद्ध किया गया है । ऐसी स्थिति में तहसील न्यायालय द्वारा रास्ता खोले जाने के आदेश देने में कोई त्रुटि नहीं की गई है और अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसील न्यायालय के आदेश की पुष्टि करने में उचित कार्यवाही की गई है, इसलिए तहसील न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश स्थिर रखे जाने योग्य हैं । अपर आयुक्त के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि अपर आयुक्त द्वारा अपने आदेश में गलत व्याख्या करते हुए आदेश पारित किया गया है, इसलिए अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 10–2–15 निरस्त किया जाकर अनुविभागीय अधिकारी, सारंगपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–10–2014 एवं नायब तहसीलदार, टप्पा सण्डावता परगना सारंगपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–6–14 स्थिर रखे जाते हैं । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर